

## कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टैंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 647

दिनांक :- 18/04/2026

### ॥ संशोधित कार्यालय आदेश ॥

मैं कमल सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टैंक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 सपठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 531 दिनांक 27.03.2026 में संशोधन कर न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा के पीठासीन अधिकारी के अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड इयूटी करने में असमर्थ होने के कारण टैंक जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय पीपलू, निवाई, उनियारा, देवली, मालपुरा, टेडारायसिंह व तहसील मुख्यालय दूनी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकृति के कार्यों (यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्यु कालीन कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई सारणी संख्या 1 में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जिनके नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को रिमाण्ड इयूटी करेंगे। माह अप्रैल-2026 की दिनांकों के लिए पूर्ववर्ती आदेश यथावत् प्रभावी रहेगा।

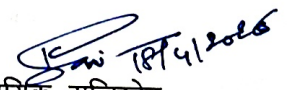
### सारणी संख्या :- 1 रिमाण्ड इयूटी

| क्र. सं. | न्यायालय का नाम                          | पीठासीन अधिकारी का नाम | मोबाईल नम्बर | दिनांक     |
|----------|------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|
| 1        | 2                                        | 3                      | 4            | 5          |
| 1.       | अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.1, टैंक | निधि शर्मा             | 9461322165   | 19.04.2026 |
| 2.       | न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा              | धर्मेन्द्र कुमार शर्मा | 8302657251   | 26.04.2026 |

उक्त इयूटी चार्ट में अंकित न्यायिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे रिमाण्ड इयूटी में कार्यालय समय पर अपने न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित रहें। साथ ही अपने कार्यालय के एक लिपिक व च.श्रे.क. को भी रिमाण्ड इयूटी के दिन कार्यालय में उपस्थित रखें।

नोट :- उक्त स्थानीय अवकाश के अतिरिक्त आगामी दिवस् को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में उक्त स्थानीय अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक कार्य आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारी ही टैंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे। जब तक कि कोई पृथक आदेश प्रसारित नहीं किया जावे।

नोट :- कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारीगण कॉलम संख्या 5 में नियत इयूटी दिवस् पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रहें।

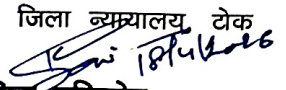
  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
टैंक (राजस्थान)

दिनांक :- 18/04/2026

क्रमांक :- 648-656

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टैंक।
2. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या-1, टैंक
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा।
4. पुलिस अधीक्षक महोदय, टैंक।
5. अधीक्षक जिला कारागृह, टैंक।
6. जिला आबकारी अधिकारी, टैंक।
7. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टैंक।
8. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टैंक।
9. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टैंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
टैंक (राजस्थान)